# अध्याय–1: सामान्य

## 1.1 परिचय

यह अध्याय छत्तीसगढ़ (छ.ग.) शासन की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बकाया करों[1] का जो वसूली हेतु लंबित है का विश्लेषण, लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया और इसके साथ निपटने के लिए विभागीय तंत्र प्रस्तुत करता है।

## 1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

**1.2.1** छ.ग. शासन द्वारा संग्रहीत कर तथा कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम एवं सहायता अनुदान जो भारत सरकार से वर्ष 2012–17 के दौरान प्राप्त हुए के आंकड़े **तालिका 1.1** में वर्णित है:

**तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

*(₹ करोड़ में)*

| स. क्र. | विवरण | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राज्य शासन द्वारा संग्रहीत राजस्व | | | | | |
| | • कर राजस्व | 13,034.21 | 14,342.71 | 15,707.26 | 17,074.86 | 18,945.21 |
| | • कर–भिन्न राजस्व | 4,615.95 | 5,101.17 | 4,929.91 | 5,214.79 | 5,669.25 |
| | **योग** | **17,650.16** | **19,443.88** | **20,637.17** | **22,289.65** | **24,614.46** |
| 2. | भारत सरकार से प्राप्तियाँ | | | | | |
| | • विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम | 7,217.60 | 7,880.22 | 8,363.03 | 15,716.47 | 18,809.16[2] |
| | • सहायता अनुदान | 4,710.33 | 4,726.16 | 8,987.81 | 8,061.59 | 10,261.63 |
| | **योग** | **11,927.93** | **12,606.38** | **17,350.84** | **23,778.06** | **29,070.79** |
| 3. | राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2) | **29,578.09** | **32,050.26** | **37,988.01** | **46,067.71** | **53,685.25** |
| 4. | 1 का 3 से प्रतिशत | **60** | **61** | **54** | **48** | **46** |

*(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)*

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद वर्ष 2015–16 से केन्द्रीय करों के राज्य के हिस्से में 10 प्रतिशत (32 से 42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

---

1 वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (आर.डी.एम.) एवं खनिज साधन विभाग।

2 विस्तृत विवरण के लिए कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे में विवरण पत्र क्रमांक 14 ''राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से'' को देखें। लघु शीर्ष 901– ''राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़े, जो 'क–कर राजस्व' के अंतर्गत है, जिसमें मुख्य शीर्ष 0020–निगम कर, 0021–आय पर निगम कर से भिन्न कर, 0028– आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032– धन कर, 0037– सीमा शुल्क, 0038– संघ उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045– वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क सम्मिलित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में शामिल किया गया है।

राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है:

**चार्ट 1.1: राज्य के राजस्व का विच्छेद**

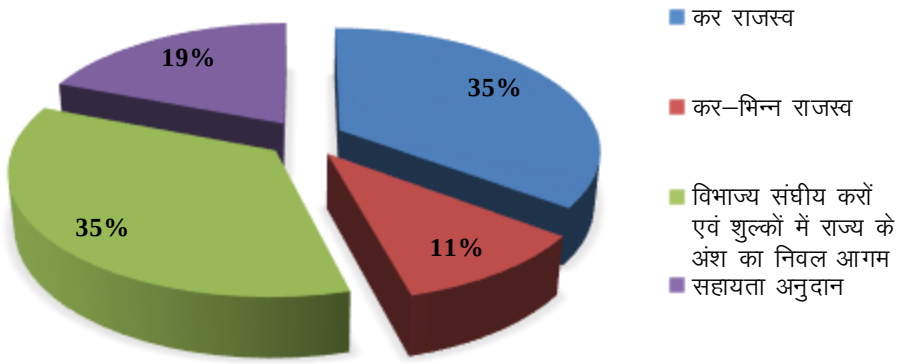


**1.2.2** वर्ष 2016–17 के लिए कर राजस्व के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है:

**चार्ट 1.2: वर्ष 2016–17 के कर राजस्वों का विच्छेद**
**(₹ करोड़ में )**

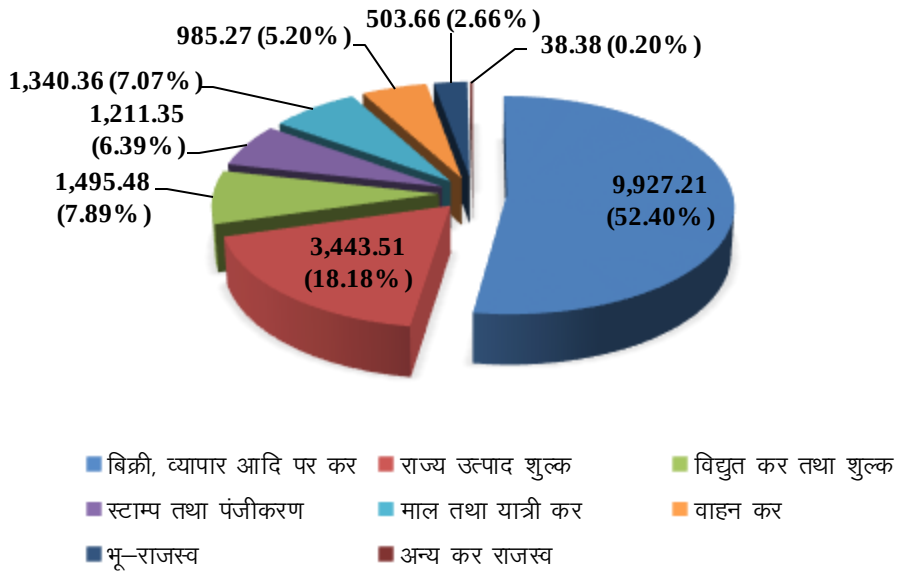


प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान (ब.अ.), वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित ब.अ. और 2012–17 की अवधि के दौरान संग्रहीत कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ **तालिका 1.2** में दर्शाई गयी हैं:

## तालिका 1.2: शासन द्वारा उदग्रहीत कर राजस्व का विवरण

*(₹ करोड़ में)*

| स. क्र. | राजस्व शीर्ष | | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | वर्ष 2015–16 की तुलना में 2016–17 आधिक्य (+) या कमी (–) का प्रतिशत | वर्ष 2016–17 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | **प्रस्तावित ब.अ.** | 7,170.60 | 8,010.49 | 9,118.94 | 9,270.93 | 10,198.02 | (+) 11.44 | (–) 16.78 |
| | | **अनुमोदित ब.अ.** | 7,200.00 | 8,436.00 | 9,800.00 | 10,998.00 | 11,928.37 | | |
| | | **वास्तविक** | 6,928.65 | 7,929.51 | 8,428.61 | 8,908.36 | 9,927.21 | | |
| 2. | राज्य उत्पाद शुल्क | **प्रस्तावित ब.अ.** | 1,820.00 | 2,589.00 | 2,646.91 | 3,200.00 | 3,360.00 | (+) 3.15 | (–) 11.02 |
| | | **अनुमोदित ब.अ.** | 1,650.00 | 2,575.00 | 3,150.00 | 3,528.00 | 3,870.00 | | |
| | | **वास्तविक** | 2,485.68 | 2,549.15 | 2,892.45 | 3,338.40 | 3,443.51 | | |
| 3. | विद्युत कर तथा शुल्क | **प्रस्तावित ब.अ.** | 699.00 | 715.00 | 1,196.00 | 1,400.00 | 1,420.00 | (+) 8.93 | (–) 5.05 |
| | | **अनुमोदित ब.अ.** | 684.00 | 820.00 | 1,100.00 | 1,400.00 | 1,575.00 | | |
| | | **वास्तविक** | 860.75 | 1,020.44 | 1,312.93 | 1,372.84 | 1,495.48 | | |
| 4. | स्टाम्प तथा पंजीकरण | **प्रस्तावित ब.अ.** | 950.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,200.00 | 1,320.00 | (+) 2.20 | (–) 18.43 |
| | | **अनुमोदित ब.अ.** | 1,000.00 | 1,150.00 | 1,250.00 | 1,350.00 | 1,485.00 | | |
| | | **वास्तविक** | 952.47 | 990.24 | 1,023.33 | 1,185.22 | 1,211.35 | | |
| 5. | माल तथा यात्री कर | **प्रस्तावित ब.अ.** | 950.00 | 1,102.44 | 1,087.26 | 1,080.62 | 1,188.68 | (+) 28.85 | (–) 14.29 |
| | | **अनुमोदित ब.अ.** | 805.00 | 1,192.00 | 1,335.00 | 1,441.80 | 1,563.77 | | |
| | | **वास्तविक** | 954.31 | 945.44 | 981.88 | 1,040.26 | 1,340.35 | | |
| 6. | वाहन कर | **प्रस्तावित ब.अ.** | 550.00 | 618.58 | 699.63 | 761.83 | 950.40 | (+) 18.82 | (+) 3.27 |
| | | **अनुमोदित ब.अ.** | 550.00 | 731.38 | 800.00 | 864.00 | 954.11 | | |
| | | **वास्तविक** | 591.75 | 651.07 | 703.48 | 829.22 | 985.27 | | |
| 7. | भू–राजस्व | **प्रस्तावित ब.अ.** | 275.00 | 292.21 | 459.45 | 468.80 | 496.80 | (+) 38.43 | (–) 8.43 |
| | | **अनुमोदित ब.अ.** | 275.00 | 376.00 | 460.00 | 496.80 | 550.00 | | |
| | | **वास्तविक** | 234.11 | 226.06 | 331.56 | 363.84 | 503.66 | | |
| 8. | अन्य कर राजस्व[3] | **प्रस्तावित ब.अ.** | 19.27 | 24.16 | 33.73 | 32.29 | 35.28 | (+) 4.66 | (+) 1.53 |
| | | **अनुमोदित ब.अ.** | 11.47 | 19.91 | 31.26 | 7.25 | 37.85 | | |
| | | **वास्तविक** | 26.49 | 30.80 | 33.02 | 36.72 | 38.38 | | |
| **योग** | | **प्रस्तावित ब.अ.** | **12,433.87** | **14,351.88** | **16,341.92** | **17,414.47** | **18,969.18** | **(+) 10.95** | **(–) 13.74** |
| | | **अनुमोदित ब.अ.** | **12,175.47** | **15,300.29** | **17,926.26** | **20,085.85** | **21,964.10** | | |
| | | **वास्तविक** | **13,034.21** | **14,342.71** | **15,707.26** | **17,074.86** | **18,945.21** | | |

*(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)*

[3] 'अन्य' में सम्मिलित वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ: होटल प्राप्ति कर (₹ 8.71 करोड़); आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 0.60 करोड़) एवं वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 29.12 करोड़)

**1.2.3** वर्ष 2016–17 में शासन द्वारा विभिन्न कर–भिन्न राजस्व प्राप्तियों का चित्रमय प्रदर्शन **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है;

**चार्ट 1.3: वर्ष 2016–17 के कर–भिन्न राजस्वों का विच्छेद (₹ करोड़ में )**

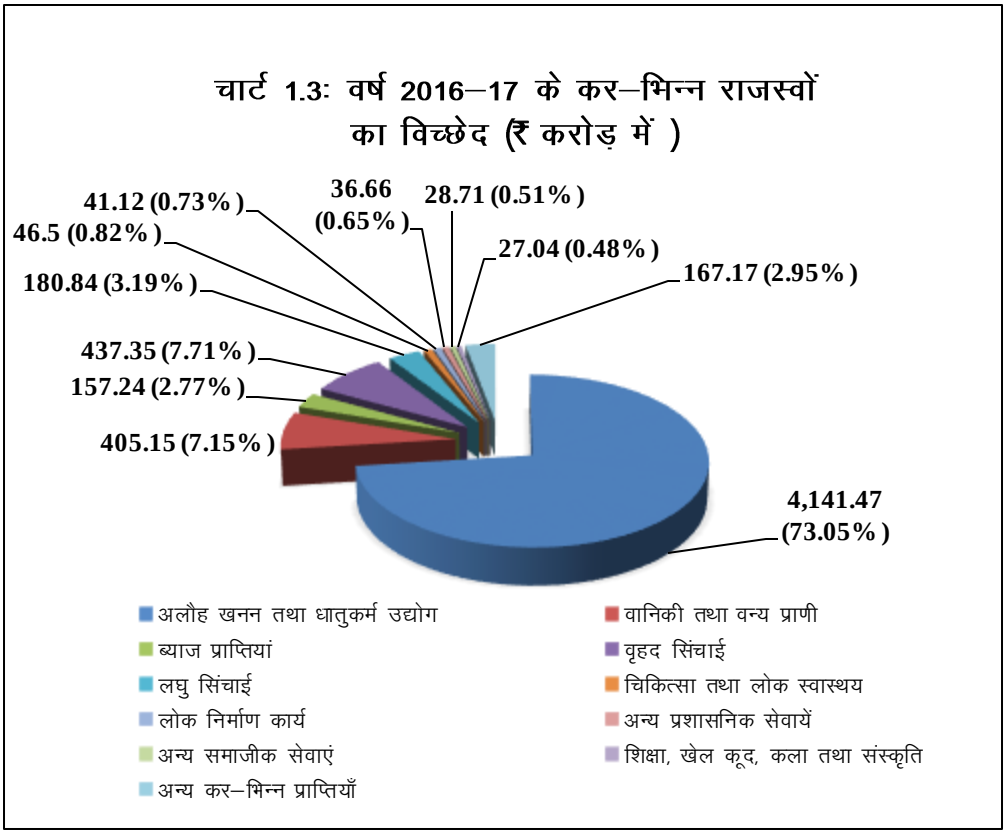


2012–17 की अवधि के दौरान उदग्रहीत कर–भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.3: शासन द्वारा उदग्रहीत कर–भिन्न राजस्व का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| स. क्र. | राजस्व शीर्ष | | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | वर्ष 2015–16 की तुलना में 2016–17 आधिक्य (+) या कमी (–) का प्रतिशत | वर्ष 2016–17 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | ब.अ. | 3,000.00 | 3,510.00 | 4,100.00 | 7,000.00 | 5,500.00 | (+) 11.64 | (–) 24.70 |
| | | वास्तविक | 3,138.18 | 3,236.01 | 3,572.68 | 3,709.52 | 4,141.47 | | |
| 2 | वानिकी तथा वन्य प्राणी | ब.अ. | 405.00 | 450.00 | 520.00 | 500.00 | 550.00 | (–) 1.12 | (–) 26.34 |
| | | वास्तविक | 363.96 | 405.91 | 348.72 | 409.75 | 405.15 | | |
| 3 | ब्याज प्राप्तियां | ब.अ. | 308.55 | 364.14 | 323.40 | 260.67 | 249.38 | (+) 45.28 | (–) 36.95 |
| | | वास्तविक | 243.13 | 380.91 | 171.89 | 108.23 | 157.24 | | |
| 4 | वृहद सिंचाई | ब.अ. | 317.13 | 340.31 | 413.55 | 389.34 | 586.47 | (–) 12.91 | (–) 25.43 |
| | | वास्तविक | 350.16 | 339.82 | 410.95 | 502.17 | 437.35 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | लघु सिंचाई | **ब.अ.** | 1,176.85 | 853.04 | 561.50 | 277.47 | 288.34 | (+) 48.34 | (–) 37.28 |
| | | **वास्तविक** | 246.78 | 407.81 | 127.23 | 121.91 | 180.84 | | |
| 6 | चिकित्सा तथालोक स्वास्थ्य | **ब.अ.** | 13.89 | 14.18 | 14.80 | 16.22 | 15.93 | (+) 7.76 | (+) 191.90 |
| | | **वास्तविक** | 17.09 | 19.84 | 20.16 | 43.15 | 46.50 | | |
| 7 | लोक निर्माण कार्य | **ब.अ.** | 10.45 | 12.80 | 18.93 | 21.77 | 43.72 | (–) 3.77 | (–) 5.95 |
| | | **वास्तविक** | 28.02 | 21.21 | 39.21 | 42.73 | 41.12 | | |
| 8 | अन्य प्रशासनिक सेवायें | **ब.अ.** | 18.69 | 19.29 | 16.06 | 30.40 | 23.69 | (–) 44.05 | (+) 54.75 |
| | | **वास्तविक** | 20.34 | 38.20 | 36.45 | 65.52 | 36.66 | | |
| 9 | अन्य सामाजिक सेवाएं | **ब.अ.** | 1.75 | 1.00 | 10.00 | 6.26 | 4.30 | (–) 1.51 | (+) 567.67 |
| | | **वास्तविक** | 12.09 | 64.34 | 41.74 | 29.15 | 28.71 | | |
| 10 | शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति | **ब.अ.** | 3.63 | 4.01 | 4.65 | 5.65 | 7.60 | (+) 106.89 | (+) 255.79 |
| | | **वास्तविक** | 9.30 | 6.78 | 30.78 | 13.07 | 27.04 | | |
| 11 | अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ[4] | **ब.अ.** | 89.62 | 503.23 | 201.73 | 155.21 | 150.71 | (–) 1.43 | (+) 10.92 |
| | | **वास्तविक** | 186.90 | 180.34 | 130.10 | 169.59 | 167.17 | | |
| **योग** | | **ब.अ.** | **5,345.56** | **6,072.00** | **6,184.62** | **8,662.99** | **7,420.14** | **(+) 8.71** | **(–) 23.60** |
| | | **वास्तविक** | **4,615.95** | **5,101.17** | **4,929.91** | **5,214.79** | **5,669.25** | | |

*(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)*

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता अध्याय–1 के नियम 192 अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदाय किये गये जानकारी के आधार पर वित्त विभाग अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों के विवरण को तैयार एवं प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। वित्त विभाग को प्रदाय किये गये विवरणों के सही होने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग का है।

वर्ष 2016–17 के सात मुख्य प्रशासनिक विभागों[5] के राजस्व अनुमानों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि परिवहन विभाग को छोड़कर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान प्रशासनिक विभागों द्वारा बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विद्युत कर तथा शुल्क, स्टाम्प तथा पंजीकरण, माल तथा यात्री कर, भू–राजस्व एवं अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग मदों में प्रस्तावित बजट अुनमान से अत्यधिक था। परिणामस्वरूप परिवहन विभाग को छोड़कर शेष छः विभागों में प्राप्ति, बजट अनुमान के विरूद्ध पाँच से 25 प्रतिशत तक कम रहा।

---

4 अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों में सम्मिलित है वर्ष 2016–17 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँः अन्य राजकोषीय सेवाएं (₹ 0.01 करोड़); लाभांश तथा लाभ (₹ 0.55 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 2. 28 करोड़); पुलिस (₹ 15.29 करोड़); जेल (₹ 7.72 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 4.48 करोड़); पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 7.44 करोड़); विविध सामान्य सेवाएं (₹ 21.84 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.05 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 5.70 करोड़); आवास (₹ 3.70 करोड़); शहरी विकास (₹ 6.74 करोड़); सूचना तथा प्रचार (₹ 0.06 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 19.35 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 7.71 करोड़); फसल कृषि कर्म (₹ 14.40 करोड़); पशुपालन (₹ 6.25 करोड़); मछली पालन (₹ 4.09 करोड़); खाद्य भंडारण तथा भांडागार (₹ 0.49 करोड़); सहकारिता (₹ 4.05 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 2.46 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 11.22 करोड)**;** मध्यम सिंचाई (₹ 6.28 करोड़); ग्राम तथा लघु उद्योग (₹ 1.79 करोड़); उद्योग (₹ 1.95 करोड़); नागर विमानन (₹ 0.71 करोड़); सड़क तथा सेतु (₹ 1.83 करोड़) एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 8.73 करोड़)

5 वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्यिक कर (पंजीयन), ऊर्जा, परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं खनिज साधन विभाग।

प्रमुख सचिव, वित्त एवं अन्य स्तरों पर लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार औपचारिक अनुरोध करने के बावजूद वित्त विभाग द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा द्वारा वृद्धि का औचित्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका (**परिशिष्ट–1**)।

परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 के धारा 18(1)(ख) एवं लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के विनियम 181 में विनिर्दिष्ट अधिदेश का पालन करने में असमर्थ रहा।

**अनुशंसाः**

**शासन लेखापरीक्षा को अभिलेखों का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे लेखापरीक्षा संविधान एवं नियमों में दिये गये अधिदेश का पालन कर सके।**

## 1.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2017 की स्थिति में सात[6] विभागों का बकाया राजस्व ₹ 2,698.93 करोड़ था, जिसमें ₹ 975.84 करोड़ (36.16 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका 1.4** में वर्णन किया गया है:

**तालिका 1.4: बकाया राजस्व**

*(₹करोड़ में)*

| स. क्र. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2017 तक बकाया राशि | 31 मार्च 2017 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि | विभाग का उत्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 1,887.09 | 831.28 | न्यायालयों में लंबित मामले (₹ 651.02 करोड़); बंद व्यवसाय (₹ 487.62 करोड़);बीमार उद्योग (₹ 7.55 करोड़); अपलेखन (₹ 2.20 करोड़); राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा.व.प्र.) जारी किया गया (₹ 198.56 करोड़); भू–राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही (₹ 540.14 करोड़)। |
| 2. | राज्य उत्पाद शुल्क | 49.91 | 19.91 | अनुज्ञप्तिधारी के चल/अचल सम्पत्ति का ब्यौरा न होना और न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण। |
| 3. | विद्युत कर तथा शुल्क | 708.53 | 108.35 | रा.व.प्र. जारी किया गया (₹ 169.05 करोड़); न्यायालय में लंबित (₹ 93.32 करोड़); मांग नोटिस जारी (₹ 446.21 करोड)। |
| 4. | वाहन कर | 26.65 | 9.80 | परिवहन अधिकारियों द्वारा कर भुगतान हेतु वाहन स्वामियों को नियमित रूप से नोटिस जारी किया जाता है; बकाया राजस्व की त्वरित वसूली हेतु बकाया करदाताओं की सूची चेक–पोस्ट/उड़नदस्ता के अधिकारियों को दे दी गई है। |
| 5. | स्टाम्प तथा पंजीकरण | 17.23 | 2.35 | जिला पंजीयक (जि. प.) द्वारा बकाया राशि वसूलने के लिए मांग जारी किए जा रहे है। अनुरोध किये जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा बकाया के विभिन्न चरणों जिस पर |

[6] वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्यिक कर (पंजीयन), ऊर्जा, वन, खनिज साधन और परिवहन ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | बकाया लंबित है, नहीं प्रदान किया गया। |
| 6. | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 0.85 | 0.85 | खन्निपट्टा/उत्खन्निपट्टा अनुज्ञप्तिधारियों की पहचान न होने के कारण 44 प्रकरणों का अपलेखन (₹ 10.14 लाख); 30 प्रकरणों में नस्तियों की अनुपलब्धता (₹ 0.31 करोड़); 94 प्रकरणों में रा.व.प्र. की गई एवं वसूली जारी है (₹ 0.44 करोड़)। |
| 7. | वानिकी तथा वन्य प्राणी | 8.67 | 3.30 | कुल बकाया राशि में से राशि ₹ 2.81 करोड़ वर्ष 2016–17 से संबंधित है, जिसे इस वर्ष वसूल कर लिया जाएगा। शेष राशि क्रेताओं द्वारा निश्चित किस्त की राशि का भुगतान न किये जाने एवं क्रेताओं के नाम पर चल/अचल सम्पत्तियां न होने के कारण लंबित है। |
| **योग** | | **2,698.93** | **975.84** | |

*(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)*

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वाणिज्यिक कर विभाग को छोड़कर शेष तीन मुख्य राजस्व विभागों वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बकाया राजस्व का डाटाबेस का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण इन विभागों द्वारा विभिन्न चरणों पर लंबित बकाया राशि की वसूली का विवरण प्रदाय नहीं किया जा सका। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदाय बकाया राजस्व के आंकड़े (कुल 27 जिलों में से मात्र 18 जिलों के ही उपलब्ध) विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि बकाया के प्रारंभिक शेष के आंकड़े पिछले वर्ष के अंत शेष से मिलान नहीं हो रहे थे। खनिज साधन विभाग उन्हीं प्रकरणों को बकाया मानती है जिन प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं एवं विभाग के पास वास्तविक बकाया राजस्व का कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। साथ ही पिछले पाँच वर्षों से कोई राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। फलस्वरूप विभागीय आंकड़े वास्तविक नहीं थे।

आगे वाणिज्यिक कर एवं खनिज साधन विभाग द्वारा बकाया वसूली की निगरानी क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा प्रेषित त्रैमासिक/मासिक विवरण के द्वारा कि जाती है। शेष तीन विभागों में बकाया वसूली की निगरानी हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

**अनुशंसाः**

**विभागों द्वारा समय समय पर बकाया वसूली के अवलोकन एवं उसकी समीक्षा हेतु डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।**

## 1.4 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

### 1.4.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधित कार्यालय प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2017 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 2,532 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,267 कंडिकाएँ जिसमें राशि ₹ 6,868.16 करोड़ के सम्भावी राजस्व सन्निहित है, जून 2017 तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विवरण नीचे **तालिका 1.5** में दर्शित हैः

## तालिका 1.5: विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

*(₹ करोड़ में)*

| स.क्र. | विभाग का नाम | राजस्व की प्रकृति | नि.प्र. का प्रकार | बकाया नि.प्र. की संख्या | बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या | सन्निहित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वाणिज्यिक कर | बिक्री, ब्यापार आदि पर कर | **राज.** | 472 | 3,042 | 550.66 |
| | | | **व्यय** | 30 | 56 | 5.42 |
| 2. | वाणिज्यिक कर (आबकारी) | राज्य उत्पाद | **राज.** | 146 | 378 | 416.37 |
| | | मनोरंजन कर | **राज.** | 82 | 128 | 3.98 |
| | | उत्पाद एवं मनोरंजन कर | **व्यय** | 29 | 56 | 21.47 |
| 3. | वाणिज्यिक कर (पंजीयन) | स्टाम्प तथा पंजीकरण | **राज.** | 250 | 751 | 100.01 |
| | | | **व्यय** | 4 | 10 | 1.81 |
| 4. | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन | भू–राजस्व | **राज.** | 589 | 1,849 | 1,059.46 |
| | | | **व्यय** | 40 | 102 | 13.77 |
| 5. | परिवहन | वाहन कर | **राज.** | 173 | 1,343 | 196.18 |
| | | | **व्यय** | 41 | 92 | 0.21 |
| 6. | खनिज साधन | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | **राज.** | 157 | 588 | 954.65 |
| | | | **व्यय** | 25 | 47 | 261.18 |
| 7. | वन | वानिकी तथा वन्य प्राणी | **राज.** | 359 | 1,071 | 1,249.75 |
| | | | **व्यय** | 411 | 1,904 | 813.70 |
| 8. | ऊर्जा | विद्युत कर तथा शुल्क | **राज.** | 16 | 75 | 1,685.91 |
| | | | **व्यय** | 3 | 10 | 5,330.98 |
| 9. | अन्य कर विभागों | अन्य प्राप्तियाँ | **राज.** | 288 | 1,042 | 651.19 |
| | | | **व्यय** | 1 | 10 | 0.13 |
| | | | **राज.** | **2,532** | **10,267** | **6,868.16** |
| | | | **व्यय** | **764** | **2,287** | **6,448.67** |
| **योग** | | | | **3,296** | **12,554** | **13,316.83** |

*राज.–राजस्व*

वर्ष 2014–17 के दौरान जारी किये गये 471 निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा के 320[7] निरीक्षण प्रतिवेदनों (67.94 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर कार्यालय प्रमुख से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। विभाग प्रमुखों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यमों से संबोधित किये गये आक्षेपों को गंभीरता से लिए जाने की विफलता जोखिम से भरी है क्योंकि कुशासन, भ्रष्टाचार, गबन एवं दुर्विनियोजन के गंभीर मामले का निवारण नहीं किया जा सकेगा।

### अनुशंसा:

**शासन ऐसे तंत्र स्थापित करे जिससे यह सुनिश्चित हो कि विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शीघ्र प्रतिक्रिया कर, सुधारात्मक**

[7] वाणिज्यिक कर–60; वाणिज्यिक कर (आबकारी)–73; वाणिज्यिक कर (पंजीयन)–13; राजस्व एवं आपदा प्रबंधन–34; परिवहन–50; खनिज साधन–30; वन–54 और ऊर्जा–6

**कार्यवाही करे एवं लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करे ताकि निरीक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण शीघ्र किया जा सके।**

### 1.4.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना, निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की जाती है।

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण **तालिका 1.6** में दर्शित है।

**तालिका 1.6: लेखापरीक्षा समिति बैठक के आयोजनों का विवरण**

| विभाग | कुल आयोजित और तिथिवार बैठकों की संख्या | चर्चा की गई नि.प्र. /कंडिकाओं की संख्या | कुल निराकृत नि. प्र. /कंडिकाओं की संख्या | निराकृत कंडिकाओं का प्रतिशत | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| वन विभाग | 03 (29.08.2016, 30.08.2016 और 31.08.2016) | 64 / 166 | 02 / 66 | 39.78 | 3,797.10 |
| वाणिज्यिक कर (आबकारी) | 01 (28.12.2016) | 53 / 69 | 25 / 47 | 68.12 | 149.75 |
| ***योग*** | **4** | **117 / 235** | **27 / 113** | **48.09** | **3,946.85** |

वर्ष 2016–17 के दौरान छः लेखापरीक्षा समिति बैठकें प्रस्तावित थी, परन्तु मात्र चार बैठकें ही आयोजित की जा सकी क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति तैयार नहीं की गयी एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। वन एवं वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के मामलों में कंडिकाओं का अनिराकृत रहने का कारण वांछित अभिलेखों का लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न करने एवं वसूली की कार्यवाही जारी रहने के कारण था।

कंडिकाओं के निराकरण की स्थिति विभाग / शासन को सूचित (फरवरी 2017 एवं जुलाई 2017 के मध्य) की गयी। अनिराकृत कंडिकाओं के संबंध में विभाग / शासन से लेखापरीक्षा को कोई पश्चात्वर्ती उत्तर एवं वसूली के समर्थन में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

**अनुशंसा:**

**शासन समस्त विभागों को निर्देशित करे कि समय समय पर लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन कर, लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का निराकरण करे एवं सुनिश्चित करे कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु लेखापरीक्षा को प्रासंगिक अभिलेख अद्यतन कर प्रस्तुत करें।**

### 1.4.3 लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर राजस्व / कर–भिन्न राजस्व कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससे विभाग लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार कर सके।

अवधि 2012–17 में 98[8] कर निर्धारण नस्तियां, विवरणियां, प्रतिदाय, दस्तावेज, पंजिया एवं अन्य वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त तथ्य को निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर विभागों के सचिवों को प्रेषित किये गये थे। उक्त किसी भी प्रकरण में कर के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना सम्भाव्य भ्रष्टाचार, गबन एवं दुर्विनियोजन जैसे खतरों का सूचक है। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों के सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी।

**अनुशंसाः**

**शासन ऐसे कदम उठाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत हो विशेषकर जब पर्याप्त सूचना दी जा रही हो एवं ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें, जो लेखाापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहते है।**

### 1.4.4 लेखापरीक्षा पर अनुसरण–सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गये निर्देशानसुार, लेखापरीक्षा विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के भीतर प्रतिवदेन की सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखापरीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (राजस्व क्षेत्र) की समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2009 से 31 मार्च 2016 तक की 204 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मिलित कर) को राज्य विधानसभा में मार्च 2010 एवं मार्च 2017 के मध्य प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 14[9] कंडिकाओं की विभागीय टिप्पणी राज्य के राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन, ऊर्जा वन एवं खनिज साधन) से प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2018)।

लोक लेखा समिति द्वारा 2002–03 से 2014–15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 154 चुनिंदा कंडिकाओं में से 113 कंडिकाओं को चर्चा हेतु चयन किया गया था एवं वर्ष 2002–03 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 33 कंडिकाओं पर अनुशंसा दी गयी। परंतु 2010–11 एवं 2016–17 के मध्य 13[10] अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से जून 2018 तक कार्यवाही टीप अप्राप्त है।

## 1.5 लेखापरीक्षा में उठाये गये विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से उठाये गये मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रणाली का विश्लेषण पिछले 10 वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यवाही हेतु खनिज साधन विभाग का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया हैं।

अनुवर्त्ती कंडिका 1.5.1 से 1.5.3 के अन्तर्गत खनिज साधन विभाग के विगत 10 वर्षों में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये एवं ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये का आंकलन कर चर्चा की गयी है।

---

[8] वाणिज्यिक कर– 50 प्रकरण, वणिज्यिक कर (पंजीयन)–39 प्रकरण एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन–09 प्रकरण

[9] 2004–05 (01), 2013–14 (01), 2014–15 (04) एवं 2015–16 (08)

[10] खनिज साधन–01; वाणिज्यिक कर (आबकारी)–01; ऊर्जा–01; परिवहन–01; वाणिज्यिक कर–06; जल संसाधन विभाग–01 एवं वन–02

### 1.5.1 खनिज साधन विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं और 31 मार्च 2017 के अनुसार उनकी स्थिति नीचे **तालिका 1.7** में दर्शायी गयी है:

**तालिका 1.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति**

*(₹ करोड़ में)*

| स. क्र. | वर्ष | | प्रारंभिक शेष | | | वर्ष के दौरान जोडें गए | | | वर्ष के दौरान निराकृत | | | अंतिम शेष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नि.प्र. | कंडिकाऐं | राशि | नि. प्र. | कंडिकाऐं | राशि | नि.प्र. | कंडिकाऐं | राशि | नि. प्र. | कंडिकाऐं | राशि |
| 1. | 2007–08 | राज. | 96 | 341 | 432.30 | 12 | 59 | 68.09 | 3 | 16 | 9.72 | 105 | 384 | 490.67 |
| 2. | 2008–09 | राज. | 105 | 384 | 490.67 | 12 | 63 | 20.08 | 3 | 39 | 34.01 | 114 | 408 | 476.74 |
| 3. | 2009–10 | राज. | 114 | 408 | 476.74 | 7 | 32 | 4.64 | 6 | 46 | 11.89 | 115 | 394 | 469.49 |
| 4. | 2010–11 | राज. | 115 | 394 | 469.49 | 9 | 47 | 116.14 | 4 | 35 | 4.46 | 120 | 406 | 581.17 |
| 5. | 2011–12 | राज. | 120 | 406 | 581.17 | 11 | 95 | 390.49 | 2 | 44 | 136.33 | 129 | 457 | 835.33 |
| 6. | 2012–13 | राज. | 129 | 457 | 835.33 | 5 | 28 | 8.81 | निरंक | 7 | 0.57 | 134 | 478 | 843.57 |
| 7. | 2013–14 | राज. | 134 | 478 | 843.57 | 7 | 42 | 25.46 | 2 | 35 | 28.91 | 139 | 485 | 840.12 |
| | | व्यय | निरंक | निरंक | निरंक | 7 | 7 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | 7 | 7 | निरंक |
| 8. | 2014–15 | राज. | 139 | 485 | 840.12 | 4 | 22 | 7.87 | निरंक | 3 | 4.37 | 143 | 504 | 843.62 |
| | | व्यय | 7 | 7 | निरंक | 4 | 7 | 14.58 | निरंक | निरंक | निरंक | 11 | 14 | 14.58 |
| 9. | 2015–16 | राज. | 143 | 504 | 843.62 | 8 | 65 | 43.63 | 2 | 9 | 0.29 | 149 | 560 | 886.96 |
| | | व्यय | 11 | 14 | 14.58 | 7 | 17 | 211.09 | 1 | 1 | निरंक | 17 | 30 | 225.67 |
| 10. | 2016–17 | राज. | 149 | 560 | 886.96 | 8 | 53 | 72.36 | निरंक | 25 | 4.67 | 157 | 593 | 954.65 |
| | | व्यय | 17 | 30 | 225.67 | 9 | 18 | 35.51 | 1 | 1 | निरंक | 25 | 47 | 261.18 |

*राज.–राजस्व*

शासन पुरानी कंडिकाओं के निराकरण हेतु विभाग एवं प्रधान महालेखाकार के मध्य लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करता है। खनिज साधन विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित नहीं की गयी।

### 1.5.2 स्वीकृत प्रकरणों की वसूली

पिछले 10 वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई तथा वसूल की गई राशि नीचे **तालिका 1.8** में वर्णित है:

**तालिका 1.8: स्वीकृत प्रकरणों का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | सम्मिलित की गई कंडिकाओं की संख्या | राशि | स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या | स्वीकृत कंडिकाओं की राशि | वसूल की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–07 | 05 | 0.87 | 05 | 0.87 | 0.48 |
| 2007–08 | 02 | 4.32 | 01 | 4.13 | 1.85 |
| 2008–09 | 04 | 0.42 | 04 | 0.42 | 0.04 |
| 2009–10 | 03 | 1.50 | 03 | 1.50 | 1.09 |
| 2010–11 | 01 | 294.54 | निरंक | 169.64 | 69.72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 2012–13 | 02 | 0.15 | 02 | 0.15 | 0.02 |
| 2013–14 | 01 | 0.12 | 01 | 0.12 | 0.02 |
| 2014–15 | 02 | 7.06 | 01 | 0.14 | निरंक |
| 2015–16 | 04 | 14.93 | 02 | 14.67 | निरंक |
| **योग** | **23** | **323.91** | **19** | **191.64** | **73.22** |

स्वीकृत कंडिकाओं के संबंध में जहां वसूली होनी है वहां शासन ने लोक लेखा समिति को बताया कि कुछ प्रकरण न्यायालयों में लंबित, कुछ प्रकरणों में वसूली प्रक्रियाधीन है, आदि।

### 1.5.3 शासन/विभागों द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का प्रारूप संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन नि.ले.प. पर बहिर्गमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है तथा विभागों/शासन के मंतव्यों को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

विषय ''मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'' पर स्टैण्ड़ अलोन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 के अनुशंसाओं पर अनुपालन एवं खनिज साधन विभाग से प्राप्त (सितम्बर 2017) उत्तर नीचे **तालिका 1.9** में वर्णित हैः

**तालिका 1.9: अनुशंसाओं की स्थिति का विवरण**

| स. क्र. | अनुशंसाओं का विवरण | स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | शासन आदर्श राज्य खनिज नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने एवं उसके क्रियान्वयन पर विचार करें। | शासन द्वारा राज्य खनिज नीति, 2012 का बनाया गया है। |
| 2. | प्रणाली में कमियाँ, राजस्व रिसाव को संसूचित करने और नियमों एवं अधिनियमों के प्रावधानों के परिपालन को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा एक नियमित आधार पर की जावे। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु संयुक्त संचालक (वित्त) के नेतृत्व में गठित दल द्वारा नियमित जिलों का निरीक्षण किया जा रहा है। नमूना जाँच किये गये जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा अपने 2012–13 से 2016–17 के निरीक्षण प्रतिवेदनों में मुख्य एवं गौण खनिज के निर्धारण लंबित बताये गये है, जिसके बावजूद उपसंचालक खनिज प्रशासन/जिला खनिज अधिकारियों द्वारा कोई समाधानकारक कार्यवाही नहीं की गयी। |
| 3. | राज्य शासन, शासन स्तर पर लंबित आवेदनों पर निगरानी हेतु एक पद्धति की व्यवस्था पर विचार कर सकती है। आगे, आवेदनों के समय पर निपटान हेतु अन्य विभागों के साथ शासन एक प्रभावी समन्वय तंत्र भी बना सकती है। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि खान एवं खनिज विकास एवं नियामक (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित जनवरी 2015) के अनुसार शासन स्तर पर लंबित समस्त आवेदनों को निरस्त मान्य किया गया है तथा जनवरी 2015 के पश्चात् खनि पट्टों का आबंटन ई–आक्शन के माध्यम से किया जा रहा है। |
| 4. | राज्य शासन, खनन योजना में परिवर्तन के प्रकरणों में एक संशोधित परिवर्धित एग्रीमेंट के निष्पादन के लिए खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों में एक उप–खण्ड शामिल करने पर विचार कर सकती है। | शासन द्वारा निर्देश (नवम्बर 2011) जारी किये जा चुके हैं कि खनन योजना में परिवर्तन होने की स्थिति में खनिपट्टेदार द्वारा बढ़े दर पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस देय है। |
| 5. | राज्य शासन, रायल्टी की दरों के विलम्बित प्रकाशन के कारण जब कभी शुल्क में अंतर उत्पन्न होता है वहाँ मुद्रांक शुल्क के अंतर की राशि के भुगतान हेतु पट्टा विलेख में एक उप–खण्ड जोड़ने हेतु विचार कर | शासन द्वारा निर्देश (नवम्बर 2011) जारी किये जा चुके हैं कि, लौह अयस्क के पट्टेदारों द्वारा वचन दिया जाना है कि यदि भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा किसी माह का |

| स. क्र. | अनुशंसाओं का विवरण | स्थिति |
|---|---|---|
| | सकती है। | औसत विक्रय मूल्य, पट्टेदार द्वारा पट्टे के क्रियान्वयन किये गये माह के बाद प्रकाशित होती है तो, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में आई अंतर की राशि का भुगतान पट्टेदार द्वारा किया जावेगा। |
| 6. | राज्य शासन, राजस्व की वृद्धि हेतु निष्क्रिय खनिज पट्टों के समय पर निरस्तीकरण सुनिश्चित करने और इन पट्टों के पुनः आबंटन हेतु उचित तंत्र बनाने के लिए विचार कर सकती है। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार खनिपट्टों को लैप्स, शासन द्वारा घोषित दिनांक से ही मान्य किया जा सकता है। खनि पट्टों के लैप्स होने पर खानों का आबंटन संशोधित अधिनियम एवं नियमों के अनुसार ई–आक्शन द्वारा किया जा रहा है। |
| 7. | नियमों के अनुरूप रायल्टी प्रभारित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक क्रियाविधि लागू करने पर शासन विचार कर सकता है। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि नियमों के अनुरूप रायल्टी प्रभारित करने हेतु स्पष्ट निर्देश है। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि इसके बावजूद यह सुनिश्चित किये जाने हेतु विभाग के पास कोई तंत्र मौजूद नहीं था, क्योंकि रायल्टी के अवरोपण से संबंधित प्रकरण निरंतर देखें गये। |
| 8. | राजस्व की हानि रोकने हेतु मासिक विवरणियों की नियमित जाँच करने के लिए और मिलान संबंधित अभिलेखों से करने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। | विभाग द्वारा ब्यक्त किया गया कि विभागीय कार्यों में दक्षता लाने खनिज आनलाइन योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से भविष्य में मासिक पत्रक एवं अभिलेखों का मिलान किया जायेगा जिससे किसी भी प्रकार का राजस्व रिसाव को रोका जा सकेगा। |
| 9. | छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप उपकर का आरोपण किए जाने हेतु सभी जिला खनिज अधिकारी को निर्देश जारी किए जाने हेतु शासन विचार कर सकता है। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उक्त उपकर की राशि को प्रति माह वसूली किये जाने हेतु नियमों में संशोधन हेतु प्रस्तावित है। |
| 10. | कोर उपभोक्ताओं, नान–कोर उपभोक्ताओं और ई–क्रेताओं को पूर्ति किये गये कोयले की मात्रा और उसकी दर के विवरण को मासिक विवरणी में दर्शायें जाने के संबंध में शासन विचार कर सकता है। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि खनिज ऑनलाइन के क्रियान्वयन पश्चात् विभिन्न उपभोक्ताओं को प्रदाय किये गये कोयले का विवरण दिया जाना संभव होगा। |
| 11. | विभागीय स्तर पर लौह अयस्क के नमूने एकत्र करने और विश्लेषण करने तथा खनन योजना में दर्शायी गई श्रेणी की प्रत्येंक माह तुलना करने के संबंध में एक तंत्र का विकास करने पर शासन विचार कर सकता है। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार खनन योजना में दर्शायी गई श्रेणी को अंतिम आधार मान्य कर रायल्टी की गणना नहीं की जा सकती। |
| 12. | कोयले के नमूने एकत्र करने और विश्लेषण करने पर घोषित श्रेणी में अंतर पाये जाने पर कोयला नियंत्रक को सूचित करने संबंधी एक तंत्र का विकास करने पर शासन विचार कर सकता है। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि कोलरी कंट्रोल आर्डर 2004 में उक्त संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा कोयले के संबंध में ग्रेड के अंतर के प्रकरण देखें गये हैं एवं इस मुद्दे को संबोधित करने हेतु तंत्र विकसित किये जाने की अनुशंसा करती है। |
| 13. | शासन खनन संक्रियाओं का अनुमोदित खनन योजना के अनुसार कडाई से संचालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करने एवं अनाधिकृत खनन का पता लगाने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना पर विचार कर सकता है। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि आई.बी. एम. द्वारा भास्कराचार्य इंस्टीटयूट फार स्पेस एप्लीकेशन एण्ड जीयो–ईन्फारमेटिकस नामक एक निगरानी प्रणाली विकसित की है, जिससे खनिजों के अवैध उत्खनन का पता लगाया जा सकेगा। |
| 14. | खनिजों के पट्टा क्षेत्रों से निकासी पश्चात् कैप्टिव संयंत्र में ही उपयोग पर नजर रखने के लिए शासन एक निगरानी तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकता है। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि खनिज आनलाइन पद्धति में खनिज के अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु ट्रीप क्लोज़ करने की व्यवस्था की गयी है। |

| स. क्र. | अनुशंसाओं का विवरण | स्थिति |
|---|---|---|
| 15. | अभिवहन पासों का पुनः उपयोग रोकने के लिए निर्धारण के समय उपयोग में लाये गये अभिवहन पासों को चेकपोस्ट के अभिलेखों से प्रतिसत्यापन किये जाने के लिए शासन एक पद्धति निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि जिलों के खनिज उड़नदस्तों को नवीनतम हैण्डहेल्ड डिवाईस उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे किसी भी जगह आनलाइन से जारी अभिवहन पास की जाँच की जा सकती है। |
| 16. | विभाग उपसंचालक, खनिज प्रशासन/जिला खनिज अधिकारी द्वारा समयबद्ध प्रतिवेदन/विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था पर विचार कर सकता है, जिसमें उन प्रकरणों को इंगित किया जाय जिनमें पर्यावरणीय सम्मती की आवश्यकता हो और पर्यावरणीय सम्मती प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रियाऐं होने को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र का विकास करना चाहिए। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया खनिज आनलाइन पद्धति में खनिपट्टों में पर्यावरण सम्मति न होने पर अभिवहन पास जारी नहीं होने की व्यवस्था की गयी है। |

## 1.6 लेखापरीक्षा परिणाम

### वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, स्टाम्प तथा पंजीकरण, भू–राजस्व, विद्युत कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहन कर एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी के 85 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इसके अलावा खनिज साधन विभाग के आठ इकाईयों की लेखापरीक्षा माह अप्रैल 2017 से जून 2017 के मध्य किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा करों एवं शुल्कों का अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 38,881 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 2,913.82 करोड़ की अनियमिततायें देखी गई। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 13,669 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 178.95 करोड़ को स्वीकारते हुए 2,194 प्रकरणों में राशि ₹ 4.97 करोड़ की वसूली की गयी।

## 1.7 इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में ''मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया'' पर एक लेखापरीक्षा सहित 14 कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 292.26 करोड़ सम्मिलित है। विभागों द्वारा ₹ 48.75 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए राशि ₹ 4.84 करोड़ की वसूली की गयी। विभागों द्वारा ₹ 238.30 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिये गये, जिसमें से खनिज साधन विभाग के खनिपट्टों के अधीन भूमि पर भू–राजस्व का अनारोपण (₹ 177.60 करोड़) एवं अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अप्राप्ति/कम प्राप्ति (₹ 42.30 करोड़) सम्मिलित हैं। इसका वर्णन आगामी अध्याय 2 से 5 में किया गया है।

अधिकांश लेखापरीक्षा प्रेक्षण ऐसे प्रवृत्ति के समान त्रुटियों/लोप को दर्शाते है, जो राज्य शासन के विभागों के अन्य वैसे इकाईयों में हो सकते हैं, जिसे नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं किया गया है। शासन/विभागों को अन्य इकाईयों का आंतरिक जाँच कर सुनिश्चित करना चाहिए की विभाग नियमों एवं आवश्यकता अनुसार कार्य कर रही है।